न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 01/2017 राजस्व अपील पत्र

उनवान

1. हजारी पिता चन्द्रा कहार उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

–– अपीलार्थी

बनाम

1 केली पत्नि रूपा कहार उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा
4 लालचन्द्र पिता रामचन्द्र कहार निवासी शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाडा

––रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 3893 आदेश दिनांक 20.12.2016 ग्राम पंचायत बनेडा

उपस्थित –
1. श्री श्यामलाल गुर्जर..... अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. श्री लाला राम गुर्जर.....प्रत्यर्थी संख्या 01 व 04 उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 12.10.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 5467 रकबा 00–03 बीघा, आराजी संख्या 5468 रकबा 03–00 बीघा, आराजी संख्या 5469 रकबा 01–11 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 04–14 बीघा जो राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 खाता नम्बर 1116 पर अन्य सहखातेदारान के साथ रूपा पिता जोधा कहार निवासी बनेडा के 1/4 हक हिस्सा अभिलिखित है। रूपा पिता जोधा कहार के कोई सन्तान न होने से अपीलार्थी ने स्व0 रूपा व उसकी पत्नि मु0 केली की सेवा सुश्रषा अपीलार्थी करता रहा। मृतक रूपा जो अपीलार्थी की सेवा–सुश्रषा से प्रसन्न होकर दिनांक 12.12.1994 को अपीलार्थी के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित कर अपीलार्थी को रूपा व उसकी पत्नि केली के मरने के उपरान्त अपनी जायदाद के लिए हक अधिकार प्रदत्त कर स्वामी घोषित किया गया था। रूपा कहार की मृत्यु दिनांक 08.11.1997 को होकर उसकी पत्नि मु0 केली आज भी जीवित है। रूपा की मृत्यू पश्चात अपीलार्थी ने अधीनस्थ तहसीलदार बनेडा के समक्ष एक आवेदन दिनांक 24.08.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात की रूपा कहार ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 12.12.1994 में एक वसीयतनामा निष्पादित कर साक्ष्यो के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर अपीलार्थी को अपनी सम्पति का मालिक व स्वामी घोषित किया गया था। अधीनस्थ तहसीलदार बनेडा ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र. पर हल्का पटवारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपने पत्र क्रमांक

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.)

भू0अ0/2016/3669 दिनांक 08.12.2016 से हल्का पटवारी को यह आदेश पारित किया कि प्रकरण में प्रार्थीया केली की मृत्यू उपरान्त ही उक्त वसीयत पत्र की सुनवाई होना सम्भव है। इस पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 3893 संस्थित कर अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थीगण 01 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तथाकथित नामान्तरकरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक से बाद जांच अधीनस्थ ग्राम पंचायत बनेडा को अंतिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया। इन तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तरकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तरकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 10.01.2017 को हुई तथा उनके द्वारा नकल दिनांक 19.01.2017 लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई ठोस खण्डन अभिलेख पर नहीं होने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 20.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तलबी की गई। दिनांक 25.01.2017 को प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री लाला राम गुर्जर द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत करते हुए जवाब दफा 05 कानून मियाद अधिनियम दिनांक 07.03.2017 को प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा दिनांक 12.09.2017 एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात भूमि को प्रत्यर्थी कम 01 के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति श्री लाल चन्द पिता रामचन्द्र कहार निवासी शाहपुरा को जरिये पंजीकृत विकय विलेख से दिनांक 16.01.2017 को बेचान किये जाने से न्यायालय को अवगत कराते हुए, सद्भाविक केता श्री लाल चन्द पिता रामचन्द्र कहार निवासी शाहपुरा को अपीलपत्र में पक्षकार बतौर प्रत्यर्थी बनाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थनापत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 16.01.2017 की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जिसे रिकार्ड पर लिया गया। इस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी को तीन मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी उनकी और से पैरवी हेतु कोई हाजिर नही होने से अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर विवादित आराजीयात के सदभाविक केता श्री लाल चन्द कहार को पक्षकार बतौर प्रत्यर्थी कम 04 के स्थान पर संयोजित किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रत्यर्थी कम 04 की तलबी की गई। दिनांक 19.09.2017 को प्रत्यर्थी कम 04 नवीन संयोजित पक्षकार की ओर से अधिवक्ता श्री लाला राम गुर्जर द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। उभयपक्षो की और वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपस्थित अभिभाषकगण को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपनी और से प्रस्तुत लिखत बहस में कथन कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 3893 संस्थित कर अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थीगण 01 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है, तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तरकरण अपास्त योग्य है। स्व0 रूपा कहार की पत्नि मु0 केली कहार को वसीयत की गई जायदाद को राजस्व अभिलेख में मेरी बिना जानकारी के दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार नही था। किन्तु विधि विरूद्ध वर्णित हक हिस्से की भूमि को मु0 केली ने अपने नाम दर्ज कराने के उपरान्त दिनांक 16.01.2017 को किसी अन्य व्यक्ति लालचन्द पिता रामचन्द्र कहार निवासी शाहपुरा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान कर दिया गया। जो कि कानूनन तौर गलत है। उक्त हक हिस्से पर आज भी कब्जा काश्त अपीलार्थी का चला आ रहा है। केवल मात्र राजस्व अभिलेखों में त्रूटीपूर्ण अंकन होने से मु0 केली ने विवादित आराजीयात को किसी अन्य को बेचान कर दिया है। जबकि प्रथम दृष्ट्या मु0 केली को वर्णित हक हिस्से को विक्रय करने का कानूनी अधिकार नही था। रूपा पिता जोधा कहार के देहान्त उपरान्त प्रत्यर्थी क्रम 01 द्वारा ग्राम पचांयत व राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगती कर प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपने नाम पर नामान्तकरण फैसल करवा लिया जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के लायक वकील के कथनो का खण्डन करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो/लिखित बहस में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि रूपा कहार के कोई संतान नही होने से रूपा व उसकी पत्नि प्रत्यर्थी संख्या 01 की सेवा सुश्रषा से प्रसन्न होकर दिनांक 12.12.1994 को अपीलार्थी के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित कर अपीलाथी को रूपा व उसकी पत्नि केली के मृत्यूपरान्त अपनी जायदाद के लिए हक अधिकार प्रदत्त कर स्वामी घोषित करने का तथ्य गलत व झूंठा है। कथित वसीयत की जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 01 को नही है। अपीलार्थी के लिखेअनुसार कथित वसीयत में अंकित प्रत्यर्थी संख्या 01 के पति रूपा व प्रत्यर्थी संख्या 01 स्वयं की मृत्यू के बाद ही वह रूपा की सम्पति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वर्तमान में प्रत्यर्थी केली की मृत्यू नही हुई है और स्व0 रूपा की वैध प्रतिनिधि होने से विवादित आराजीयात की मालिक व स्वामिनी है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 3893 जो कानूनन तौर सही है, व सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी प्राप्त कर विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए खोला गया जिसे स्थगित रखा जाना न्याय संगत नही है। तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 के जीवित रहते हुए कथित वसीयतनामा का कोई औचित्य नही है। उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी किसी भी प्रकार से विवादित आराजीयात पर कोई हक अधिकार पाने का अधिकारी नही है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात, आधार राजस्व अभिलेखों का अध्ययन/परीक्षण किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणो की लिखित बहस पर मनन किया। हम अपीलार्थी पक्ष के इस तर्क से सहमत है कि स्व0 रूपा कहार की पत्नि मु0 केली कहार को वसीयत की गई सम्पति को राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के बिना जानकारी के दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार नही था। किन्तु विधि विरूद्ध वर्णित हक हिस्से की भूमि को मु0 केली ने अपने नाम दर्ज कराने के उपरान्त दिनांक 16.01.2017 को किसी अन्य व्यक्ति लालचन्द पिता रामचन्द्र कहार निवासी शाहपुरा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान कर दिया गया। जो कि कानूनन तौर गलत है। यहा यह भी उल्लेखनीय होगा कि विवादित आराजीयात रूपा पिता जोधा कहार को पुश्तैनी जायदाद के तौर विरासत से मिली अथवा उक्त आराजीयात रूपा पिता जोधा कहार की स्वअर्जित सम्पति थी। विवादित आराजीयात रूपा कहार की स्वअर्जित सम्पति होना सिद्ध कराने में अपीलार्थी सफल रहता है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित तथाकथित वसीयतनामा पर विचारण कर अपीलार्थी के हक अधिकारो को सुरक्षित रखना भी न्यायालय उचित समझता है।

इसके अतिरिक्त विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में अभिकथन किया कि अपीलार्थी की सेवा श्रुषा से स्व0 रूपा पिता जोधा कहार प्रसन्न होकर वसीयतनामा दिनांक 12.12.1994 को अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित किया जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी क्रम 01 केली को नही थी। जबकि इसके विपरीत अपीलार्थी की और प्रस्तुत वसीयतनामा के अवलोकन से इसका पुष्टिकरण/प्रमाणिकरण होता है कि मु0 केली पत्नि रूपा कहार के हस्ताक्षर बतौर साक्षी क्रम 01 के स्थान पर अंकित पाये जाने से प्रत्यर्थी क्रम 01 यानि केली कहार को कथित वसीयतनामा की सम्पूर्ण जानकारी थी। उपरोक्त विवेचन तथ्यों आधार अभिलेखों के अध्ययन व परिक्षण उपरान्त विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथ्यो एंव परिस्थितियों को मध्यनजन रखते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 3893 आदेश दिनांक 20–12–2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बनेड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है कि तहसीलदार उक्त प्रकरण में अजसिरे उभय पक्षों को सुनवाई एंव समुचित साक्ष्य दस्तावेजी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर 6 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति मय मूल प्रकरण के तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)